UPBG010012952026

न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश/न्यायालय संख्या-01, बागपत।

उपस्थित : शबिस्ताँ आकिल, उच्चतर न्यायिक सेवा

जे०ओ० कोड नं०- यू० पी० 6283

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या: 468/2026

गुलफाम उर्फ सुभान पुत्र नसीर, निवासी ग्राम फौलादनगर, थाना दोघट, जनपद बागपत।

.....अभियुक्त।

बनाम

राज्य .....अभियोजक।

दिनांकः 09.03.2026

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त **गुलफाम उर्फ सुभान** की ओर से मु०अ०सं० 231/2025, अन्तर्गत धारा 109(1), 3(5) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 3/8 गोवध निवारण अधिनियम, थाना दोघट, जनपद बागपत में अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र, जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2- जमानत प्रार्थनापत्र के साथ **शपथपत्र रिजवान** इस आशय के साथ प्रस्तुत किया गया है कि न्यायालय में अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। इसके अलावा अन्य किसी भी न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में कोई भी जमानत प्रार्थनापत्र विचाराधीन नहीं है।

3- प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किये गये हैं कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है। उसे उक्त अपराध में झूठा व गलत फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित तथाकथित कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रार्थी/अभियुक्त से कोई गोमांस आदि बरामद नहीं हुआ है। प्रार्थी/अभियुक्त ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से कोई हमला नहीं किया है। उस पर लगाये गये सभी आरोप बिल्कुल झूठे व निराधार हैं। प्रार्थी/अभियुक्त एक विकलांग व्यक्ति है तथा वह भागने-दौड़ने में असमर्थ है, जिस कारण भी प्रार्थी/अभियुक्त का लिप्तीकरण झूठा प्रतीत होता है। प्रार्थी/अभियुक्त तथाकथित घटनास्थल पर मौजूद नहीं था तथा न ही गिरफ्तार हुआ है। उसका नाम सह-अभियुक्त के बयान के आधार पर प्रकाश में आया है। सह-अभियुक्त ने सुभान का घटना में शामिल होना बताया है, परन्तु थाना हाजा की पुलिस द्वारा बाद में दौरान विवेचना सुभान उर्फ गुलफाम बढ़ाया गया है। तथाकथित घटना से सम्बन्धित कोई भी जन साक्षी नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त पूर्व सजायाफ्ता मुजरिम नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 19.02.2026 से जिला कारागार, बागपत में निरुद्ध है। उपरोक्त मुकदमे में सह-अभियुक्तगण नौशाद, आकिब व औरंगजेब की जमानत न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है, जिस कारण प्रार्थी/अभियुक्त भी समता के आधार पर जमानत प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थी/अभियुक्त एक मजदूरी पेशा व्यक्ति है, यदि उसे जेल में निरुद्ध रखा जाता है तो उसके भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। प्रार्थी/अभियुक्त मान्य न्यायालय की संतुष्टि हेतु उचित जमानत देने को तैयार है। अतः जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

4- अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा उपनिरीक्षक वीरेन्द्र सिंह ने थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट/फर्द बरामदगी इस आशय के साथ दी कि '...दिनांक 20.09.2025 को मैं उप-निरीक्षक वीरेन्द्र सिंह मय उ0नि0 श्री युवनीश कुमार, उ0नि0 प्रान्शु राजपूत मय हमराही है0का0 352 गोविन्द मय है0का0 301 जितेन्द्र कुमार, का0 644 रामटाईगर को क्रमशः दिलाकर अन्दर मालगृह

Digitally signed by Shabistan Aquil
Date: 2026.03.09 17:37:01 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

से एक-एक जरब राइफल इंसास मय 10-10 कारतूस का0 160 अंकुल सिंह को दिलाकर अन्दर मालगृह से एक जरब राइफल एकेएम मय कारतूस मय गाडी सरकारी प्रथम मोबाइल न० यूपी 32 ईजी 8166 मय सहचालक है0 का0 144 विनय कुमार के वास्ते देखरेख शान्ति व्यवस्था, चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन, तलाश/दबिश वांछित अपराधी, रोकथाम जुर्म जरायम व गस्त मे थाना हाजा से रपट नं0 58 समय 20:10 बजे वास्ते ड्यूटी में अन्दर इलाका क्षेत्र मामूर थे। जब हम पुलिसवाले गस्त करते हुए दाहा बरनावा मार्ग पर चैकिंग कर रहे थे, कि तभी मुझ उप निरीक्षक को मुखबिर खास ने आकर सूचना दी कि गढी कांगरान फौलादनगर मार्ग से बोपुरा की ओर जाने वाले मार्ग पर ईख के खेत में 04 लोग गौकशी करने के लिये एक काला सफेद रंग के बछड़े को लेकर गये हैं। यदि जल्दी कि जाये तो गोकशी की घटना को रोका जा सकता है। मुखबिर की इस सूचना पर विश्वास करते हुए मुझ उप निरीक्षक द्वारा सभी हमराहीयान को उक्त गोकशी की सूचना से अवगत कराया गया तथा थाना क्षेत्र में थाने की द्वितीय मोबाइल पर पूर्व से रवाना उ 0 नि0 पल्टूराम, है० का0 36 हरविन्द्र सिंह मय का0 99 राकेश कुमार मय गाडी सरकारी द्वितीय मोबाइल न० यूपी 17 जी 0125 मय सहचालक का0 894 अमित कुमार को तलब किया गया जो तत्काल मौके पर हाजिर आये तथा मुखबिर की सूचना से अवगत कराया गया तथा आने जाने वाले लोगों को आसनाहे राह से गवाही हेतु प्रयास किया तो नावक्त होने के कारण कोई गवाह नहीं मिल सका। मजबूरीवश हम पुलिस वालों द्वारा मय मुखबिर के एक-दूसरे की जामा तलाशी ले-देकर विश्वास किया कि किसी के पास जुर्म से सम्बंधित कोई वस्तु नहीं है। बिना देरी किये मय मुखबिर के मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान की ओर सरकारी वाहनों से चल दिये। जैसे ही हम पुलिस वाले गढी कांगरान फौलादनगर मार्ग से बोपुरा की ओर जाने वाले मार्ग पर पहुंचे तो मुखबिर ने बोपुरा की तरफ जाने वाले रास्ते की तरफ लगभग 70 मीटर दूर से एक ईख के खेत की ओर इशारा करके बताया कि साहब इसी ईख के खेत के अन्दर 04 लोग गौकशी करने की फिराक में हैं और मुखबिर चला गया। हम पुलिस वालों द्वारा गाडी की लाईट बन्द कर तथा गाडियों को खड़ी कर छुपते छुपाते लगभग 70 मीटर चलने के बाद ईख की आड लेकर उनकी तरफ पहुंचे तो कुछ व्यक्तियों के बोलने की आवाज व गौवंश की आवाज सुनाई दी। नजदीक जाकर देखा तो 04 व्यक्ति हाथों में छुरी लिये मोबाइल की फ्लैश लाईट व टार्च की रोशनी में एक गोवंश को काटने की फिराक में है। जैसे ही हम पुलिस वाले उक्त व्यक्तियों के नजदीक पहुँचे तो उनमें से एक व्यक्ति द्वारा हम लोगों की आहट सुनकर हमें देख लिया गया और हम पुलिस वालों को देखते ही चिल्लाकर बोला की सालों पुलिस आ गयी गोली मारो और एकदम से चारो व्यक्तियों द्वारा हम पुलिस वालों पर जान से मारने की नियत से अपने-अपने तमंचे निकालकर एक राय होकर फायर कर दिये। जिससे हम पुलिस वाले बाल-बाल बचे और घटना की सूचना समय करीब 01.28 AM बजे मुझ उप निरीक्षक द्वारा निजी मोबाईल फोन से थाना कार्यालय को दी गयी तथा बताया कि कन्ट्रोल रुम को अवगत कराये। तथा मुझ उप निरीक्षक द्वारा ललकारते हुए बदमाशों से कहा कि तुम अपने आप को पुलिस के हवाले करदो तुम्हें पुलिस ने घेर रखा है। लेकिन बदमाशों द्वारा पुनः हम पुलिस वालों पर फायर कर दिया गया। इस पर मुझ उप निरीक्षक द्वारा पुलिस पार्टी को निर्देश देते हुए कहा कि बदमाशों की गिरफ्तारी हेतु कम से कम बल प्रयोग किया जाये। इस पर मुझ उप निरीक्षक व हमराही पुलिस बल द्वारा बदमाशों के नजदीक पहुंचकर अपनी जान की परवाह न कर अदम्य साहस का परिचय देते हुये, आत्मरक्षार्थ मुझ उप निरीक्षक व उ 0 नि0 युवनीश कुमार व उ 0 नि0 प्रान्शु राजपूत द्वारा अपनी-अपनी सरकारी पिस्टल से एक-एक राउण्ड फायर किया। जिससे एक बदमाश गौवंश के पास करीब 7 से 8 कदम की दूरी पर वहीं ईख के खेत के बाहर गिर गया और कराहकर चिल्लाते हुए कहा कि मेरे पैर में गोली लग गयी है व 03 गौकश बदमाश घनी ईख व अंधेरे का फायदा उठाते हुए फायर करते हुए भाग गये। जिनका पीछा है0 का0 352 गोविन्द, है0 का0 644 रामटाईगर, है0 का0 301 जितेन्द्र कुमार, का0 160 अंकुल सिंह द्वारा किया गया, लेकिन बड़ी ईख व अंधेरा होने के कारण पकडे नहीं जा सके। हम पुलिस वालों द्वारा सतर्कता पूर्वक घायल बदमाश के नजदीक जाकर टॉर्च की रोशनी में देखा तो एक बदमाश घायल अवस्था में पड़ा है, जिसके दोनो पैरो में घुटने के नीचे पिडली पर हुए घाव से खून बह रहा है। जिसे मुझ उप निरीक्षक के निर्देश से हमराही पुलिस द्वारा कब्जे में लिया गया और घायल बदमाश की टांग पर हमराहीयान द्वारा कपड़ा बांधा गया एवं नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गई तो इसने अपना नाम नौशाद पुत्र ताहिर नि० ग्राम पलडी थाना दोघट जनपद बागपत उम्र करीब 20 वर्ष बताया। नौशाद उपरोक्त की जामा तलाशी में इसके कब्जे से मौके से एक अदद तमंचा 315 बोर जिसकी कुल लम्बाई करीब एक बालिस्त एक अंगुल, नाल लोहा करीब 6 अंगुल, बट लोहा करीब 5 अंगुल जिसके दोनों तरफ लकड़ी

की चाप रीपिट के माध्यम से कसी हैं, बॉडी लोहा करीब 05 अंगुल, बॉडी पर दोनों तरफ पीतल की पत्ती लगी है जिसमें एक तरफ 315 व दूसरी तरफ 2015 लिखा है। ऊपर हैमर व नीचे ट्रैगर लगा है, नाल को खोलने व बन्द करने के लिए ट्रैगर नुमा खटका लगा है। नाल को खोल कर देखा तो नाल में खोखा कारतूस 315 बोर फंसा है जिसकी पैंदी पर 8 MM KF लिखा है खोखा कारतूस को निकालकर नाल को सूंघकर देखा तो ताजे चले बारूद की गन्ध आ रही है तमंचा चालू हालत में है। जिसकी पैंदी पर चोट का निशान है बरामद हुआ। मौके पर एक जिन्दा गौवंश (बछड़ा) रंग काला सफेद उम्र करीब डेढ़ वर्ष जिसके चारों पैर रस्से से बंधे हुए हैं, बरामद हुआ। गौवंश के पास से दो छुरी बरामद हुईं। जिनमे बड़ी छुरी की कुल लम्बाई एक बालिस्त, फल लोहा व बेंटा लकडी 07 अंगुल तथा दूसरी छुरी की कुल लम्बाई 08 अंगुल फल लोहा व बेंटा प्लास्टिक 05 अंगुल तथा बछड़ा के चारों पैर में बंधी एक रस्सी प्लास्टिक रंग सफेद/सिल्वर बरामद हुए तथा पकड़े गये व्यक्ति से भागे हुए तीनों व्यक्तियों का नाम-पता पूछा गया तो उसने पहले व्यक्ति का नाम आकिल पुत्र ताहिर व दूसरे व्यक्ति का नाम औरंगजेब पुत्र शकील निवासीगण ग्राम पलडी थाना दोघट जनपद बागपत व तीसरे व्यक्ति का नाम सुभान पुत्र नसीर निवासी ग्राम फौलादनगर थाना दोघट जनपद बागपत बताया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त नौशाद पुत्र ताहिर व भागे हुए तीनों व्यक्ति थाना दोघट जनपद बागपत के मु०अ०सं० 224/2025 धारा 109/3 (5) बीएनएस व 3/4/25/27 आर्म्स एक्ट व 3/5/8 गौवध नि०अधि० में वांछित अभियुक्त है। फील्ड यूनिट टीम को भी मौके पर बुलाने की सूचना कन्ट्रोल रूम को दी गयी। घायल अभियुक्त नौशाद ने पूछने पर बताया कि साहब हम इस बछड़े को काटने के लिए यहां लाये थे। गोकशी करने के बाद गोवंश के मीट को मैं व भागे हुए मेरे अन्य तीनों साथी भरकर आस-पास ले जाकर बेच देते है। इससे हमारी अच्छी आमदनी हो जाती है। इसी से हमारे परिवार का पालन पोषण होता है। पकड़े गए व्यक्ति को इसके जुर्म धारा 109(1) बीएनएस, व 3/8 गोवध अधि० व 3/25/27 व 4/25 आर्म्स एक्ट से अवगत कराते हुए समय करीब 02.39 AM हिरासत पुलिस लिया गया। मानवीय दृष्टिकोण को देखते हुए अभि० नौशाद उपरोक्त को जो घायल अवस्था में है, को जीवन रक्षार्थ उपचार हेतु मौके पर मौजूद उ 0 नि0 पल्टूराम मय है0 का0 36 हरविन्द्र सिंह, का0 99 राकेश कुमार के द्वारा द्वितीय मोबाइल न० यूपी 17 जी 0125 मय सहचालक का० 894 अमित कुमार के साथ सीएचसी बिनौली रवाना किया गया। बरामद तमंचा 315 बोर नाजायज जिसकी नाल में फंसा एक खोका कारतूस 315 बोर को सफेद कपड़े में रखकर व 02 छुरियों को अलग-अलग सफेद कपड़े में रखकर व बरामद रस्सी (प्लास्टिक) को अलग सफेद कपड़े में रखकर सभी को सिलकर सील मोहर कर सभी के अलग-अलग नमूना मोहर तैयार किया गया व बरामद बछड़े को उचित माध्यम से थाना भिजवाया जा रहा है। जहां पर बछड़े के खाने-पीने की उचित व्यवस्था की जायेगी तथा सुबह होने पर गौशाला में सुपुर्द किया जायेगा। दौराने गिरफ्तारी जनता के गवाहन फराहम करने का काफी प्रयास किया गया रात्रि का वक्त होने के कारण जनता का कोई भी गवाह नहीं मिल सका। दौराने सम्पूर्ण कार्यवाही मा0 सर्वोच्च न्यायालय व मा० मानवाधिकार आयोग के दिशा-निर्देशों का पूर्णतः पालन किया गया एवं हमराह कर्मचारीगण की कुशलता पूछते हुए पुलिस मुठभेड़ में शामिल पुलिस पार्टी द्वारा मुठभेड़ में आत्मरक्षार्थ चलाये गये कारतूसों का विवरण पता किया गया तो स्वयं मेरे द्वारा अपनी सरकारी पिस्टल से 01 राउण्ड फायर, उ 0 नि0 युवनीश कुमार, उ 0 नि0 प्रान्शु राजपूत के द्वारा अपनी-अपनी सरकारी पिस्टल से 01-01 राउण्ड फायर किये गये, जिनके खोखा कारतूसों को मौके पर काफी तलाश किया गया तो घनी ईख, घास-फूंस व रात्रि का समय होने के कारण नहीं मिले सके। जिन्हें दिन में तलाश कराया जायेगा। अभियुक्त नौशाद की गिरफ्तारी व बरामदगी की वीडियो ग्राफी ई-साक्ष्य के माध्यम से उ 0 नि0 युवनीश कुमार द्वारा अपने मोबाईल से की गयी। मौके पर गिरफ्तारी मीमो तैयार किया गया व फर्द मुझ उप निरीक्षक द्वारा बोल-बोल कर उपनिरीक्षक युवनीश कुमार से लैपटाप पर पर्याप्त रोशनी में तैयार करायी गयी। अभियुक्त की गिरफ्तारी की सूचना थाने पहुंचकर द्वारा उचित माध्यम अभियुक्त के परिजनों को दी जायेगी।...'

5- अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि अभियुक्त निर्दोष है। उसने उपरोक्त अपराध कारित नहीं किया है। प्रार्थी/अभियुक्त, अन्य सह-अभियुक्त के साथ मिलकर गोकशी करके उनका माँस अन्य राज्य में ले जाकर नहीं बेचता है और न ही सह-अभियुक्त को जानता है। प्रार्थी/अभियुक्त गोकशी करके तथा उनका माँस बेचकर गलत रूप से धन भी अर्जित नहीं करता है। प्रश्नगत मामले में किसी पुलिसकर्मी को कोई चोट नहीं आयी है। उक्त केस नो इंजरी केस है। प्रार्थी/अभियुक्त की मौके से गिरफ्तारी नहीं है, बल्कि पकड़े गये सह-अभियुक्त नौशाद के बयानों के

आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया है। बरामदगी के समय का कोई जनता का गवाह दर्शित नहीं किया गया है। मामले में सह-अभियुक्तगण आकिब, नौशाद व औरंगजेब की जमानत न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है, जिस कारण प्रार्थी/अभियुक्त भी समानता के आधार पर जमानत प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः निवेदन किया कि प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाए।

6- अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना-पत्र का विरोध करते हुए जमानत प्रार्थना-पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

7- प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को जमानत प्रार्थनापत्र पर सुना गया तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

8- पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले में प्रार्थी/अभियुक्त पर अन्य सह-अभियुक्तगण के साथ मिलकर पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर करने तथा मौके से गिरफ्तार किये गये सह-अभियुक्त नौशाद के कब्जे से एक रास बछड़ा, एक अदद तमंचा, छुरी, एक रस्सी प्लास्टिक बरामद होने का अभियोग लगाया गया है। प्रश्नगत मामले में प्रार्थी/अभियुक्त गुलफाम उर्फ सुभान का नाम मौके से गिरफ्तार किये गये सह-अभियुक्त नौशाद के बयानों के आधार पर प्रकाश में आया है। कथित बरामदगी का कोई स्वतन्त्र जनसाक्षी नामित नहीं है। मामला सात वर्ष तक के अनधिक दण्ड से दण्डनीय है। प्रार्थी/अभियुक्त को इस मामले में दिनांक 19.02.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध होना बताया गया है। उक्त मामले में सह-अभियुक्त नौशाद की जमानत दिनांक 10.10.2025 को, सह-अभियुक्त आकिब की जमानत दिनांक 18.11.2025 को तथा सह-अभियुक्त औरंगजेब की जमानत दिनांक 29.01.2026 को न्यायालय द्वारा पूर्व में स्वीकृत की जा चुकी है। मामले में प्रार्थी/अभियुक्त गुलफाम उर्फ सुभान की भूमिका भी जमानत पर रिहा किये गये अन्य सह-अभियुक्तगण के समान ही होना कहा गया है। अभियोजन की ओर से प्रार्थी/अभियुक्त गुलफाम उर्फ सुभान का जिन अन्य मामलों में आपराधिक इतिहास प्रस्तुत किया गया है, उनमें किसी भी मामले में प्रार्थी/अभियुक्त की दोषसिद्धि दर्शित नहीं की गयी है। अतः मामले के सम्पूर्ण तथ्य व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, बिना गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए, न्यायालय का मत है कि प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है। अतः जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त **गुलफाम उर्फ सुभान** की ओर से मु०अ०सं० 231/2025, अन्तर्गत धारा 109(1), 3(5) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 3/8 गोवध निवारण अधिनियम, थाना दोघट, जनपद बागपत में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा **अंकन 1,00,000/- (एक लाख) रुपये** का निजी मुचलका व इसी धनराशि के दो प्रतिभू पत्र एवं निम्नलिखित अण्डटेकिंग सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टिनुसार दाखिल करने पर प्रस्तुत प्रकरण में उसे जमानत पर रिहा किया जायेः-

1. प्रार्थी/अभियुक्त विचारण में सहयोग करेगा।
2. प्रार्थी/अभियुक्त गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा।
3. प्रार्थी/अभियुक्त जमानत पर छूटने के बाद आपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं होगा।

दिनांकः 09.03.2026

(शबिस्ताँ आकिल)
कृते, अपर सत्र न्यायाधीश/
न्यायालय संख्या- 01, बागपत।